भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 7
उत्तर दिनांक 29/01/2026 को दिया गया

शांति अधिनियम के निहितार्थ

7. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) किस प्रकार से शांति अधिनियम के वे प्रावधान जो भारत के असैन्य परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी को सक्षम बनाते हैं, देश के परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में संभावित परिवर्तन ला सकते हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा परमाणु अप्रसार संबंधी प्रतिबद्धताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है; और

(ख) क्या शांति अधिनियम परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) को एक स्वतंत्र सुरक्षा नियामक के रूप में स्थापित करता है और यदि हां, तो इसकी संभावित शक्तियां क्या हैं और यह भारत के परमाणु उद्योग को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) शांति अधिनियम का अधिनियमन नाभिकीय ऊर्जा तथा आयनीकरण विकिरण के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से किया गया है ताकि नाभिकीय विद्युत उत्पादन के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य, जल, कृषि, उद्योग, अनुसंधान, पर्यावरण, नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष के क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सके तथा संरक्षित और सुरक्षित उपयोग के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा सुनिश्चित किया जा सके।

नाभिकीय ऊर्जा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च-निष्पादन संगणन, क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वदेशी अर्धचालक संविरचन का उपयोग करके वृहत्-स्तर पर डेटा-संचालित अनुसंधान और डेटा केंद्रों के लिए स्थिर, विश्वसनीय और चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करा सकती है। नाभिकीय ऊर्जा के स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य, जल, कृषि, उद्योग, अनुसंधान, पर्यावरण के क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग हैं और उन्नत सामग्री अनुसंधान, परिशुद्ध विनिर्माण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और औद्योगिक स्वचालन सहित भविष्य के लिए तैयार अनुप्रयोगों का समर्थन करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण है।

शांति अधिनियम के प्रमुख प्रावधान नाभिकीय पदार्थ और नाभिकीय सुविधाओं पर सुरक्षा और संरक्षोपायों के कार्यान्वयन के संबंध में हैं, जिसमें निरंतर मॉनीटरन, लेखांकन और निगरानी शामिल है।

(ख) भारत के नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में पहले से ही नाभिकीय सुरक्षा के कार्यान्वयन की एक मजबूत प्रणाली मौजूद है। भारत में नागरिक नाभिकीय सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केवल नाभिकीय ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की है। एईआरबी को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए,

शांति अधिनियम एईआरबी को संरक्षा निरीक्षण कार्य करने के लिए अधिनियम के माध्यम से एक नियामक निकाय के रूप में स्थापित करता है। यह देश में नाभिकीय और विकिरण सुरक्षा के विनियमन के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करेगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रचालन अनुभव और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के आधार पर सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का प्रयास जारी रखेगा। एईआरबी निरीक्षकों को, अनुपालन को सत्यापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त सुविधाओं का नियमित निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। ऐसे मामले, जहां अनुपालन न होने की पुष्टि की जाती है, वहां एईआरबी सुधारात्मक सिफारिशें और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अनुपालन न होने की गंभीर स्थितियों में, एईआरबी को प्रचालन लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का अधिकार भी प्राप्त है।

*****